जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी –श्री वेद प्रकाश मोदी

**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1184 / 2026**
**राज्य बनाम् रौशनी देवी उर्फ रौशनी कुमारी वगैरह**

## आदेश

**13.07.2026 :** प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदकगण **रौशनी देवी उर्फ रौशनी कुमारी, पति–चंदन पासवान, उम्र–21 वर्ष एवं चानो देवी उर्फ चंदा कुमारी, पति–गोविंद पासवान उर्फ गोविंद कुमार, उम्र–20 वर्ष** की ओर से दाखिल किया गया है जो **धारा–96 B.N.S.** के अधीन दर्ज बेगूसराय, **नयागांव थाना काण्ड संख्या–41 / 2026** में पुलिस की गिरफ्तारी की आशंका से सशंकित हैं तथा उक्त वाद **वर्तमान में श्री पप्पु पंडित विद्वान न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, बेगूसराय के न्यायालय में लंबित है।**

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 2 पर एक प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत के लिए इस विद्वान न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कभी कोई जामनत आवेदन दाखिल नहीं की गई है।

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 3 पर यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार राय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मनोज ठाकुर को सुना।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण से जुड़े अन्य मामले में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई घटना कभी घटी ही नहीं है और आवेदकगण को झूठा इस फंसाया गया है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में चार दिनों की देरी है जो अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। दोनों पक्षों के बीच भूमि का विवाद है किन्तु आवेदकगण का पिछले एक वष्र से छोटू कुमार से कोई संपर्क नहीं है। इसलिए कथित घटना को अंजाम छोटू कुमार और उनके पिता नरेश पासवान का देने का प्रशन ही नहीं उठता। कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी सूचक नहीं है और उसने आवेदकगण को मामले में केवल संदेह एवं काल्पनिक के आधार पर फंसाया है। आवेदकगण न तो सूचक की बेटी का अपहरण किया है न ही उसे बहला–फुसलाकर ले गए हैं और न ही छोटू कुमार को सूचक की बेटी के अपहरण में सहायता की है। आवेदकगण को इस बात की कोई जानकारी नही है कि सूचक की बेटी किसके साथ गई या उसे कौन ले गया और वह अब किसके साथ और कहां रह रही है। आवेदकगण की कथित घटना में संलिप्तता को साबित करने के लिए संदेह के अलावा किसी प्रकार का कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध अभियोजन का कथन बिल्कुल ही झूठा एवं आध ाारहीन है। साथ ही आवेदक अभियुक्तगण न्यायायल द्वारा आरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और उचित राशि के बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अंत में निवेदन करते हैं कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी –श्री वेद प्रकाश मोदी

**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1184 / 2026**
**राज्य बनाम् रौशनी देवी उर्फ रौशनी कुमारी वगैरह**

**13.07.2026 :** उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका का कहना है कि दिनांक 10.05.26 को करीब 6 बजे शाम से उसकी बेटी संजना कुमारी उम्र–17 वर्ष जो घर पर नहीं है। बहुत खोजा, आस–पास गांव–मुहल्ला पर वो कहीं पर नहीं है। उसे शक है कि उसका पड़ोसी छोटू कुमार, पे. नरेश पासवान, जो उसकी बेटी को भगा ले गया है। नरेश पासवान, पे0–चन्द्रदेव पासवान, चानो देवी, पति–गोविंद पासवान, रौशनी देवी, पति–चंदन पासवान ये सभी के सहयोग से उसकी बेटी संजना कुमारी को भगाया गया है।

वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि काण्ड दैनिकी की किसी भी कंडिका में अभियुक्तगण / आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास का जिक्र नहीं किया है और अग्रिम जमानत आवेदन के पारा–3 में भी कोई आपरधिक इतिहास दर्ज नहीं है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–3, 8, 9, 10 में वादी एवं साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचक का आरोप है कि उसकी बेटी संजना कुमारी उम्र–17 वर्ष को अन्य अभियुक्तों के सहयोग से अपहरण कर लिया है। कांड दैनिकी की कंडिका–124 में पुलिस को दिये गए बयान एवं कंडिका–132 में न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दिए गए बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी मर्जी से घरेलू झगड़े को लेकर घर छोड़कर सिल्लीगुड़ी चली गई थी और उसका अपहरण किसी के द्वारा नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचना स्वरूप स्पष्ट हे कि पीड़िता अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर चली गई। आवेदकगण / अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण / अभियुक्तगण **रौशनी देवी उर्फ रौशनी कुमारी, पति–चंदन पासवान, उम्र–21 वर्ष एवं चानो देवी उर्फ चंदा कुमारी, पति–गोविंद पासवान उर्फ गोविंद कुमार, उम्र–20 वर्ष** की ओर से मो0 5000 / –(दस हजार रुपये) का बंध पत्र एवं उसी समान राशि का दो प्रतिभू दाखिल करने के पश्चात् विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आवेदक अभियुक्तगण आत्मसमर्पण करेंगे।

लेखापित
ह0 / –
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्
बेगूसराय

प्रतिलिपि :– इस वाद से संबंधित निम्न न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्
बेगूसराय